संख्या-1/2015/3761/86-2014-278/2011

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 2014

विषय- उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत स्वास्थानें किस्म (in situ) के खनिज निक्षेपों के खनन पट्टा की स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1287/एम-1ए-15/11, दिनांक 14-11-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अध्याय-2 के अन्तर्गत स्वास्थानें किस्म (in situ) के उपखनिजों के पट्टों का व्यवस्थापन नियमावली के नियम-9 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत किया जाना है। उप खनिजों के खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने की प्रणाली में एकरूपता व पारदर्शिता बनाये रखने तथा खनिज विकास एवं राजस्व हित में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा अधिमान विनिश्चित करने के उपरान्त सभी पहलुओं पर अपनी स्पष्ट संस्तुति/प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने हेतु शासन को प्रेषित किये जायेंगे। शासन की पूर्व सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही जिलाधिकारियों द्वारा अंतिम स्वीकृत प्रदान की जायेगी।

कृपया उपरोक्त से सभी जिलाधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-3761/86-2014-278/2011, दिनांक 12-12-2014 का संलग्नक।

प्रारूप

स्वास्थानें किस्म के खनिज निक्षेपों के खनन पट्टों की स्वीकृत के सम्बन्ध में शासन की पूर्व सहमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव

जनपद.....

1	आवेदित खनिज का नाम-	
2	क्षेत्र का नाम-क्षेत्र की स्थिति, भूखण्ड सं0/ग्राम/तहसील का नाम क्षेत्रफल सहित	
3	वाषिक पट्टा धनराशि या अपरिहार्य भाटक	
4	नियम-72 के अन्तर्गत उपलब्धता अधिसूचित किये जाने का दिनांक-	
5	प्राप्त आवेदन-कर्ताओ का विवरण	1. 2. 3. आदि
6	आवदको को परस्पर अधिमान विनिश्चित करने के उपरान्त उपयुक्त पाये गये एवं संयुक्त आवेदक का नाम व अधिमान देने का आधार	
7	उपरोक्त बिन्दु संख्या-6 में अंकित आवेदक के सम्बन्ध में कोई खनन सम्बन्धी बकाया न होने, आपराधिक पृष्ठ भूमि न होने व पूर्व में संतोषजनक कार्य होने के सम्बन्ध में टिप्पणी	
8	संस्तुत आवेदक के पक्ष में वर्तमान में स्वीकृत/प्रचलित अन्य खनन पट्टो का विवरण यथा संख्या व रकबा, यदि कोई हो।	
9	खनन पट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्तावित अवधि।	
10	वन विभाग से अनापत्ति के सम्बन्ध में टिप्पणी। अन्य विवरण जैसे किसी न्यायालय में कोई स्थगनादेश न होना-	
11	अन्य विवरण जैसे किसी न्यायालय में कोई स्थगनादेश न होना।	
12	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक की संस्तुति।	
13	खनन पट्टा स्वीकृति करने के लिये जिलाधिकारी की स्पष्ट संस्तुति।	

जिलाधिकारी का नाम

पदनाम

हस्ताक्षर व मुहर दिनॉक सहित

http://shasanadesh.up.nic.in